न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0**
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : **194/2019 (78/2019)**
GCMS NO. : **2019/00065**

–:: प्रार्थीगण ::–

1. शांतिलाल पुत्र अम्बालाल
2. रमेशचन्द्र पुत्र चम्पालाल
3. बालकिशन पुत्र चम्पालाल
4. संतोष कुमार पुत्र चम्पालाल
   जाति– बाह्यण, निवासी– लाम्बिया, तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज.।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. नोरतमल पुत्र गंगाविशन जाति– बाह्यण, निवासी– लाम्बिया, तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज.।
2. उपपंजीयन अधिकारी जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला–पाली, राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

तारीख रजूः 25/09/2019

उपस्थितः. 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः 30/07/2021**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा लाम्बिया तहसील जैतारण में सायलान एवं गैरसायल संख्या 1 व अन्य खातेदारान् की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 755 रकबा 11–07 बीघा, खसरा नम्बर 756 रकबा 22–17 बीघा, खसरा नम्बर 757 रकबा 23–01 बीघा, खसरा नम्बर 758 रकबा 1–06 बीघा गै.मु. बेरा, 759 रकबा 8–12 बीघा, खसरा नम्बर 978 रकबा 0–02 बीघा गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 1065 रकबा 24–14 बीघा, खसरा नम्बर 1066 रकबा 12–18 बीघा, खसरा नम्बर 1181 रकवा 9–14 बीघा, खसरा नम्बर 1182 रकबा 13–19 बीघा, कुल खसरा 10 कुल रकबा 128–10 बीघा आई हुई है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 की पेश है। उक्त कृषि भूमि में सायलान एंव गैरसायल संख्या 1 तथा अन्य खातेदारान जमाबन्दी में दर्ज अनुसार काबिज होकर मौके पर काश्त करते है। पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि का सायलान एंव गैरसायल संख्या 1 तथा अन्य खातेदारान के पूर्वजों ने अपनी सहमति से वक्त सेटलमेंट सम्वत 2011 में ही मौके पर बंटवारा कर लिया तथा खेतों के बीच माठ भी कायम कर दी गई तथा उक्त कृषि भूमि का वंटवाड़ा 65 वर्षो से हिस्सेनुसार खातेदारान ने कर दिया। इसी बंटवाड़ानुसार खातेदारान काश्त करते हैं। सायलान के पूर्वज आसुराम बल्द जय नारायण के हिस्से मे खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:41:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

759 रकबा 8–12 बीघा, खसरा नम्बर 978 रकवा 0–02 बीघा गै.मु. बेरा व खसरा नम्बर 1065 रकबा 24–14 बीघा की भूमि बंटवाड़े में आई तथा इनकी मृत्युपरांत इनके वारिसान सायलान कारते करते आ रहे है, जिसकी जानकारी गैरसायल संख्या 1 व अन्य खातेदारान एंव इनके पूर्वजों को थी व है उक्त खसरा नम्बर की भूमि को बाद में विवादित भूमि के नाम से जाना जावेगा। सायलान के बंटवाड़े में आये खसरा नम्बर 759, 778, 106, की कृषि भूमि में सायलान के पूर्वज सम्वत 2014 से 2017, 2018 से 2019 व 2020 से 2023 की गिरदावरी में बोई जीनस भी स्पष्ट है कि आसुराम व चम्पालालजी ने काश्त की व इन्ही खसरा नम्बर पर कब्जा है, जो प्रस्तुत गिरदावरी से स्पष्ट है जिससें भी यह साबित हो जाता है की उक्त खसरा नम्बर की भूमि सायलान के बंटवाड़े में ही है। गैरसायल संख्या 1 के पिता गंगाविशन वल्द रामबक्श के हिस्से में खसरा नम्बर 756 रकबा 22–17 बीघा में से 11–07 बीघा भूमि, खसरा नम्बर 757 रकबा 23–01 बीघा में से 11–11 बीघा भूमि, खसरा नम्बर 1181 रकबा 9–14 बीघा व खसरा नम्बर 1182 रकबा 13–19 बीघा भूमि बंटवाड़े में आई इसी हिस्सेनुसार गैरसायल संख्या 1 के पूर्वज व इनकी मृत्युपरांत गैरसायल संख्या 1 का कब्जा व काश्त चला आ रहा है तथा अन्य खसरा नम्बर की भूमि में बालू व मांगू वल्द शीवराम तथा पूनाराम पुत्र रामचन्द्र के बंटवाड़े में आये तथा इनके मृत्युपरांत इनके वारिसान का क़ब्ज़ा काश्त चला आ रहा है। सायलान ने अपने हिस्से में आये खसरा नम्बर 759, 1065 की कृषि भूमि में खाद बीज डालकर उपजाऊ किया व खेतों में पेड़ पौधे लगाये जो भूमि उबड़ खाबड़ थी जिसे समतल किया खेत के चारों और खन्दक लगाकर तानबन्दी की इस प्रकार सायलान के हिस्से में आये खसरा नम्बर की भूमि में लाखों रुपये खर्च कर भूमि का विकास किया मौके पर बंटवाड़े हुये करीब 65 वर्ष हो चुके है। सायलान के हिस्से में आई भूमि जो अब बहुत ही कीमती व उपजाऊ है परन्तु उक्त कृषि भूमि जमावन्दी में खातेदारान के सामलाति खातेदारी में दर्ज होने का फायदा उठाने की नियत से गैरसायल संख्या 1 ने दिनांक 01–05–19 को खसरा नम्बर 1065 की भूमि में अपने हिस्से को एक अजनबी क्रेता को वैचान करने की ऐलानिया धमकी दी तथा यह भी कहा की क्रेता को विशेष भू–भाग पर कब्जा कराऊगा तब सायलान ने गैरसायल संख्या एक को यह निवेदन किया कि अपन सभी एक ही परिवार के सदस्य है तथा पद संख्या एक में वर्णित भूमि का अपने पूर्वजो ने बंटवाड़ा भी आज से करीब [illegible] पूर्व कर दिया है अब गैरसायल संख्या एक द्वारा मात्र [illegible] खातेदारी में दर्ज होने के आधार पर अपने हिस्से को बेचान कर अपने [illegible] में कामयाब हो जाते है तो सायलान अपने हक व [illegible] होगें व सायलान को असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूति किसी भी सूरत में सम्भव नही होगी व सायलान के हिस्से में आये खसरा नम्बर की भूमि में एक अजनबी क्रेता कब्जा करेगा जिससे सायलान किसी भी सूरत में कब्जा नही करने देगे इसलिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:41:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

सायलान ने गैरसायल संख्या एक द्वारा किये जाने वाले कृत्यों को रोके जाने बावत् सायलान ने यह वाद विरुद्ध गैरसायल के पेश है। गैरसायल संख्या एक सायलान के हिस्से में आये खसरा नम्बर की भूमि में अपने हिस्से की बैचान रजिस्ट्री गैरसायल संख्या 2 के समक्ष पेश करे तो अजनबी क्रेता के पक्ष में बैचान रजिस्ट्री निष्पादित नही करें यदि अजनबी क्रेता के पक्ष सायल संख्या 2 पंजीयन कर दे तो क्रेता के पक्ष में तहसीलदार म्यूटेशन पारित नही करें जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावें तथा उक्त कृषि भूमि के अन्य खातेदारान के विरूद्ध कोई अनुतोष नही होने से उन्हें इस वाद में पक्षकार नही बनाया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 759, 1065, 978 की कृषि भूमि पर सायलान का पिछले 65 वषी से बंटवाडा होने के आधार पर मौके पर सायलान का कब्जा काश्त है जो प्रस्तुत गिरदावरी से साबित है इसलिए सायलान के पक्ष में प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में है यदि गैरसायल मात्र जमाबन्दी में नाम इन्द्राज होने के आधार पर अपने हिस्से को किसी अजनबी क्रेता को बैचान कर देता है तो सायलान के हक व अधिकार प्रभावित होगे व असिम हानी होगी जिसकी क्षतिपूति भी किसी सूरत में सम्भव नही होगी। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेज पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 3 में दर्ज खसरा नम्बर 759 रकबा 8-12 बीघा, खसरा नम्बर 978 रकबा 0-02 बीघा गै.मु. बेरा व खसरा नम्बर 1065 रकबा 24-14 बीघा में भूमि में सायलान शान्तरजाल5 काश्त के मुतालिक कुल कार्य खड़ाई, बुवाई, कमाई कर या करावं उसमें गैरसायल उनके वारिसान हाली एजेन्ट आदि किसी प्रकार की दखल व दस्तन्दाजी नही करें जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जायें व उक्त खसरा नम्बर की भूमि बाबत गैरसायल सामलाती खरिदाय भूमि में नाम होने के आधार पर अपने हिस्से को किसी अजनबी कला के पक्ष में बैचान रजिस्ट्री गैरसायल संख्या 2 के समक्ष पेश करें तो उसका पंजीयन नहीं करें दौराने दावा पंजीयन कर तोरसायल संख्या 2 तहसीलदार क्रेता के पक्ष में म्यूटेशन पारित नही करें जरिय अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावें तथा राजरव रेकर्ड व मौक की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश प्रदान करावें।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, सामिल मिसल है। अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाब प्रार्थनापत्र पेश हुआ जो सा0मि0 हैं। अप्रार्थी संख्या [illegible] जवाब प्रार्थनापत्र में कथन किया है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या [illegible] मुताबिक राजस्व मौजा लाम्बिया पटवार हल्का लाम्बिया [illegible] लाम्बिया तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान में भूमि [illegible] जिसका विवरण निम्नलिखित हैः- खसरा नम्बर 755 रकबा 11-07 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 756 रकबा 22-17 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 757 रकबा 23-01 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 758

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:41:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

रकबा 01-06 बीघा किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 759 रकबा 08-12 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 978 रकबा 00-02 बीघा किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा नम्बर 1065 रकबा 24-14 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1066 रकबा 12-18 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1181 रकबा 09-14 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1182 रकबा 13-19 बीघा किस्म बारानी अव्वल, कुल खसरा 10 कुल रकबा 128-10 बीघा की भूमि आई हुई है। इस भूमि में जवाब देहन्दा का 1/3 वा हिस्सा है तथा शेष भूमि सायलान व अन्य हिस्सेदारी की है। जिसकी चालू जमाबंदी व नक्शा ट्रेस इस जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। इस भूमि को जवाब प्रार्थना पत्र में आगे सुविधा की दृष्टि से विवादित भूमि के नाम से जाना जायेगा। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित कथन सही होने से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में वर्णित कथन असत्य होने से अस्वीकार है। बल्कि इस प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित भूमि पर माफिक हिस्सेनुसार जवाब देहन्दा एवं दिगर हिस्सेदारो का मौके पर कब्जा व काश्त है। उक्त भूमि मौके पर आपसी सहमति से पक्षकारों के बीच पिछले कई वर्षों से पूर्व से बंटी हुई है। लेकिन भूमि के बंटवाड़े का राजस्व रिकर्ड में दर्ज नहीं होकर उक्त भूमि सामलाती दर्ज है। इस प्रकार से उक्त विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में शामलाति दर्ज होने की वजह से जवाब देहन्दा के साथ सायलान व अन्य हिस्सेदार आये दिन इस भूमि के नाप-चौप सीमा व माठ को लेकर जवाब देहन्दा से विवाद करते रहने से जवाब देहन्दा ने सायलान व अन्य हिस्सेदारो के बीच मूल प्रार्थना पत्र बावत बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया हुआ है जो अदालत श्रीमान के समक्ष जैर विचारण के है। इस प्रकार से बंटवाड़े का वाद निस्तारित होने तक सायलान जवाब देहन्दा के विरूद्ध किसी भी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। उक्त तथ्यो के अलावा इस पद में वर्णित तमाम तथ्य असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 में वर्णित कथन कतई असत्य झूठे व वेबुनियाद होने से अस्वीकार है। इस पद में सायलान ने अपने मनमर्जी से विशिष्ट खसरा नम्बरान की भूमि पर अपना अकेले का कब्जा काश्त होना झूठा अंकित किया है। बल्कि सम्पूर्ण भूमि संयुक्त व सामलाती है तथा खसरा गिरदावरी रिकoर्ड अoफ राईट की तारीफ नही आती है। उक्त तथ्यों के अलावा तमाम तथ्य असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 में वर्णित कथन कतई असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। इस पद में भी स[illegible] अपने मनमर्जी से विशिष्ट खसरा नम्बरान की भूमि ज[illegible] अंकित किया है। बलकि सम्पूर्ण भूमि संयुक्त व सामलाती है तथा [illegible] व अन्य के कब्जे काश्त बाबत लिये तथ्यो को भी सायलान [illegible] साबित [illegible]। उक्त तथ्यो के अलावा तमाम तथ्य असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 06 में वर्णित कथन कतई गलत होने से अस्वीकार है। इस पद में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि पर अकेले सायलान का कब्जा होने के कथन भी

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:41:16 IST
Reason: SelfAttested

कतई गलत है। बल्कि सम्पूर्ण भूमि संयुक्त व सामलाती है तथा इस संयुक्त व सामलाती भूमि का जवाब देहन्दा सायलान व दिगर हिस्सेदारो से इस संयुक्त और सामलाती रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउडण्स के बंटवारा किया जाना आवश्यक होने से इस बाबत जवाब देहन्दा ने अपना प्रार्थना पत्र पेश किया है जो जैर विचारण के है। इस प्रकार से सायलान ने वास्तविक तथ्यो को छिपाते हुये अदालत श्रीमान के समक्ष यह निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा सायलान जवाब देहन्दा को इस वादग्रस्त भूमि से लाठी लकड़ी के बल पर बेकाबिज कर देते हैं तो जवाब देहन्दा को अपूणीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूति किसी कदर संभव नहीं है। साथ ही जवाब देहन्दा इस विवादित भूमि के सम्बन्ध में सायलान के ऐसे अवैधानिक कृत्यों का विरोध करेगे। जिससे विवाद बढेगा एवं मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंगस होगी, तब ऐसी विषम परिस्थीतियों में जवाब देहन्दा ने पूर्व में ही मूल प्रार्थना पत्र बावत बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया हुआ है जो जैर विचारण के है। इस प्रकार से सम्पूर्ण भूमि का बंटवाड़ा होने तक विशिष्ट भू भाग के सम्बन्ध में सायलान जवाब देहन्दा के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने के कतई अधीकारी नही है। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। इस प्रार्थना पत्र के पद संख्या 07 में वर्णित कथन कतई असत्य झूठे व बेनियाद है। तथा उक्त भूमि पर जवाब देहन्दा की पैतक व पुश्तैनी संयुक्त व सामलाती है, जिस पर जवाब देहन्दा का भी कब्जा काश्त व अधीकार चला आ रहा है। इसलिए समस्त तथ्यो व परिस्थीतियो एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्ठया मामला व सुविधा का सन्तुलन सायलान की बजाय जवाब देहन्दा के पक्ष में है। यदि इस प्रकरण में किसी भी प्रकार का स्थगन जारी किया जाता है तो अपूणीय क्षति भी जवाब देहन्दा को होगी। सायल ने इस प्रार्थना पत्र में झूठे तथ्यो का समावेश करते हुये यह निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावें। उक्त तथ्यो के अलावा इस पद में वर्णित अन्य तमाम तथ्य असत्य होने से अस्वीकार है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात के पेश कर निवेदन है कि सायलान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज किया जावें।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से अपने पक्ष में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये–

1995 R.R.D. पेज–764
1994 R.R.D. पेज–569(b)
2000 R.R.D. पेज–373
2002 R.R.D. पेज–106, 47
2020 R.R.D. पेज–132

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:41:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया तथा हस्तगत प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन में मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन. इस प्रकार हैः–

1. प्रथम दृष्टया मामलाः–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं भू–अभिलेखीय दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त अविभाजिते सह–खातेदारी की भूमि है जिसमें प्रार्थी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत कर दौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है। अप्रार्थी ने यह कथन किया है कि अप्रार्थी ने सायलान व अन्य हिस्सेदारों के विरुद्ध उक्त वादग्रस्त आराजी के सामलाती होनें से बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय हाजा में पेश किया हुआ है जो जैर विचारण के है। सह–खातेदारी भूमि के संबन्ध में यह मान्य सिद्धान्त है कि प्रत्येक सहखातेदार का सहखातेदारी भूमि के प्रत्येक हिस्से पर स्वामित्व एवं कब्जा निहित होना माना जाता है। चुंकि सह–खातेदारी भूमि के संबन्ध में सह–खातेदारों के मध्य विवाद के समाधान के लिए कानूनन हिस्सेनुसार बंटवाड़ा ही समाधान है एवं उक्त विवादग्रस्त भूमि के बंटवाड़े हेतु अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का यह कथन स्वीकार नहीं किया जा सकता कि वादग्रस्त आराजी में केवल प्रार्थी के पक्ष में ही प्रथम दृष्टया मामला है। अतः यह बिन्दू बखूबी साबित नहीं होता है।

2. सुविधा का संतुलनः–

चुंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुआ है, साथ ही अविभाजित भूमि की दशा में प्रत्येक सहखातेदार के हिस्से तक सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में निहित होना माना जाता है। अतः केवल एक सहखातेदार के पक्ष में सुविधा का संतुलन निहित होना नहीं माना जा सकता। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी के विरुद्ध साबित होता है।

3. अपूरणीय क्षतिः–

चुंकि पूर्व विवेचित दोनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुए है। साथ ही चुंकि वादग्रस्त आराजी [illegible] भी सह–खातेदार है तथा प्रत्येक सह–खातेदार को [illegible] उपयोग एवं उपभोग करनें का प्राथमिक अधिकार होता है। लि[illegible] अप्रार्थी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करनें [illegible]दारी अधिकारों के उपयोग/उपभोग से महरूम होना पड़ेगा। जबकि वादग्रस्त आराजी के संबंध में बंटवाड़ा का वाद न्यायालय हाजा में विचाराधीन है अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:41:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

अपूरणीय क्षति अप्रार्थी को होना संभव है। अतः यह बिंदू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थीगण/वादीगण के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 30/07/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:41:16 IST
Reason: SelfAttested